

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-3/2017/641

दिनांक:- 29.11.2017

-:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	कमलेश बड़गुजर	नर्स-1	अजमेर	26.02.58	28.02.18
2.	प्रभा फ्रान्सीस	नर्स-1	अजमेर	14.03.58	31.03.18
3.	अन्नाकुट्टी टी.जे.	नर्स-1	अजमेर	20.04.58	30.04.18
4.	मधुबाला	नर्स-1	अजमेर	21.05.58	31.05.18
5.	कृष्ण कान्त शर्मा	नर्स-1	अजमेर	01.07.58	30.06.18
6.	शीला ऐलीजाबेथ	नर्स-1	अजमेर	04.07.58	31.07.18
7.	रूबी मारगेट	नर्स-1	अजमेर	14.08.58	31.08.18
8.	इन्द्रसिंह पाटीदार	नर्स-1	झालावाड़	15.04.58	30.04.18
9.	ओम कुमारी शर्मा	नर्स-1	कराबी जोधपुर	12.04.58	30.04.18
10.	फरीदउद्दीन	नर्सिंग ट्यूटर	झालावाड़	02.04.58	30.04.18
11.	रामचन्द्र दास बैरागी	नर्सिंग ट्यूटर	झालावाड़	29.04.58	30.04.18
12.	रमेशचन्द्र पायक	नर्स-1	चित्तौड़गढ़	08.04.58	30.04.18
13.	रमेश चन्द माली	नर्स-1	करौली	30.04.58	30.04.18
14.	राजेन्द्र गिरी	नर्स-1	जोधपुर	12.05.58	31.05.18
15.	सुधीर कुमार त्रिपाठी	नर्स-1	चित्तौड़गढ़	25.05.58	31.05.18
16.	अनीता पीटर	पीएचएन	सीकर	09.05.58	31.05.18
17.	मोती लाल कोली	नर्स प्रथम	अलवर	01.05.58	30.04.18
18.	ललिता सोनी	नर्स प्रथम	जोधपुर	10.05.58	31.05.18
19.	एलीस के.एम.	नर्स प्रथम	जोधपुर	28.06.58	30.06.18
20.	प्रेमसिंह कुल्हरी	नर्स प्रथम	श्रीगंगानगर	26.06.58	30.06.18
21.	लक्ष्मी नारायण महावर	नर्स प्रथम	सवाई माधोपुर	30.06.58	30.06.18
22.	ओमप्रकाश भाटी	नर्स प्रथम	पावटा जोधपुर	05.06.58	30.06.18
23.	जगदीश प्रसाद पाठक	नर्स प्रथम	बूंदी	08.04.58	30.04.18
24.	मरिअम्मा के.आई.	बीएचएस फिमेल	भीलवाड़ा	30.05.58	31.05.18
25.	सुरेन्द्र सिंह नूनिया	नर्स प्रथम	चूरु	15.05.58	31.05.18

26.	देवकीनन्दन स्वामी	नर्स प्रथम	चूरु	05.10.58	31.10.18
27.	बाबूलाल वर्मा	नर्स प्रथम	टोंक	15.07.58	31.07.18
28.	राजीव बोरणा	नर्स प्रथम	जालोर	21.05.58	31.05.18
29.	नेकी राम	नर्स प्रथम	सीकर	31.07.58	31.07.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


sd -
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-3 /2017/641

दिनांक: 29-11-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
3. अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर / उम्मेद अस्पताल, जोधपुर/एसआरजी कॉलेज, झालावाड़।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली/भीलवाड़ा/सीकर।
5. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़/सीकर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़/अलवर/श्रीगंगानगर/सवाई माधोपुर/पावटा जोधपुर/बूंदी/चूरु/टोंक/जालोर।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क0रा0बी0 औष0 नं0 जोधपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/निजी पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर